ISSN Print: 2394-7500
ISSN Online: 2394-5869
Impact Factor: 8.4
IJAR 2022; 8(12): 306-309
www.allresearchjournal.com
Received: 26-11-2022
Accepted: 28-12-2022

डॉ० अभिमन्यु कुमार
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह
महाविद्यालय, सरिसब–पाही,
मधुबनी, बिहार, भारत

Corresponding Author:
डॉ० अभिमन्यु कुमार
सहायक प्राध्यापक, हिंदी विभाग,
महाराज लक्ष्मीश्वर सिंह
महाविद्यालय, सरिसब–पाही,
मधुबनी, बिहार, भारत

हिंदुत्व का दर्शन और डॉ० अम्बेडकर

डॉ० अभिमन्यु कुमार

प्रस्तावना

डॉ. अम्बेडकर के लिए हिंदुत्व और हिंदू धर्म में कोई अंतर नहीं है। वे हिंदुत्व को हिंदू धर्म के अंतर्गत ही देखते हैं। अम्बेडकर अपनी किताब 'हिंदुत्व का दर्शन' में धर्म और उसके दर्शन की व्याख्या करते हैं। उन्होंने हिंदू धर्म का विश्लेषण जीवन शैली के रूप में उसमें छिपे महत्व को निर्धरित करने के बाद किया है। वे धर्म के दर्शन के अध्ययन में तीन आयामों का होना आवश्यक मानते हैं। पहला आयाम है– धर्म। उनके अनुसार धर्म का उद्देश्य एक ऐसे सामाजिक व्यवस्था का निर्माण होना चाहिए जिसमें लोग नैतिक जीवन यापन कर सकें। दूसरा आयाम है, धर्म जिस आदर्श योजना का समर्थन करता है, उसकी पहचान करना। इसके अंतर्गत वे धर्म में स्थापित स्थायी और प्रभावशाली अंगों को देखते हैं और उसके आवश्यक गुणों को अनावश्यक गुणों से अलग करने की बात करते हैं। हालांकि, वे इसे कठिन भी मानते हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार धर्म के दर्शन का तीसरा आयाम है, एक ऐसी कसौटी निश्चित करना जिस पर धर्म को खरा उतरना चाहिए। वे इस कसौटी की जाँच उस धर्म में आई क्रांतियों का अध्ययन करने के बाद करते हैं। धर्म में आई क्रांतियों का अध्ययन वे सभ्य और आदिम समाज को विभाजित करने के बाद करते हैं। डॉ. अम्बेडकर लिखते हैं कि– ''क्रांति के एक सिरे पर वह प्राचीन समाज है, जिसके धार्मिक आदर्श का लक्ष्य उसका समाज था। क्रांति के दूसरे सिरे पर वह आधुनिक समाज है, जिसके धार्मिक आदर्श का लक्ष्य एक व्यक्ति था।''[1] अब आधुनिक समाज में उपयोगिता के स्थान पर न्याय प्रधान हो गया। वे मनुष्य के आचरण और उसके नैतिक उत्तमता को महत्व देते हैं, जो सही और गलत की मापदंड करने में उपयोगी होते हैं। सामाजिक उपयुक्तता की जगह आधुनिक समाज में व्यक्ति के 'न्याय' मिलने को ही वे नैतिक उत्तमता मानते हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, धर्म के दर्शन को परखने के नियम दैवी होने के साथ–साथ प्राकृतिक भी होने चाहिए। वे हिंदुत्व के दर्शन का परीक्षण भी इसी आधार पर करते हैं।

हिंदू धर्म में समानता की स्थिति की जाँच अम्बेडकर कई बिंदुओं पर करते हैं। वे हिंदू धर्म में जाति–व्यवस्था के लिए मनु को जिम्मेदार मानते हैं। मनु ने ही वर्ण की पवित्रता का उपेदश दिया है और वर्ण–व्यवस्था ही जाति की जननी है। हिंदू धर्म में स्थायी व्यवस्था के रूप में मनु ने इसे मान्यता प्रदान की जो कि असमानता के सिद्धांत को लागू करता है। मनु के अनुसार सिर्फ शूद्रों को ही गुलाम बनाया जा सकता है। अम्बेडकर लिखते हैं कि, अगर गुलामी को अपना रास्ता बनाने की स्वतंत्रता दी जाती तो इससे जाति–प्रथा की नींव नष्ट हो जाती। क्योंकि तब कोई ब्राह्मण अछूत को और अछूत किसी ब्राह्मण को गुलाम बना सकता था। विवाह पर मनु की धारणा पर विचार करते हुए वे कहते हैं कि मनु अंतर्जातीय विवाह का विरोधी है। वर्ण–व्यवस्था के लिए सबसे बड़ा खतरा अंतर्जातीय विवाह है इसलिए मनु ने दृढ़तापूर्वक इसका विरोध किया है। अंतर्जातीय विवाह को मनु अनुमति देता है लेकिन उलट क्रम से नहीं। अपने से नीचे के वर्णों में ही अंतर्जातीय विवाह की अनुमति थी। इससे स्पष्ट है कि शूद्र वर्ण अंतर्जातीय विवाह नहीं कर सकता था। गवाही देने के लिए मनु ने अपने आचार–संहिता में अलग–अलग वर्णों के लिए अलग–अलग नियम प्रतिपादित किये हैं। शपथ दिलाते समय न्यायाधीश ब्राह्मण से 'कहो' क्षत्रिय से 'सत्य कहो' वैश्य से 'गो बीज' और शूद्र से उन सभी पापों को जो मनुष्य कर सकता है, के दोषों की झूठी गवाही से तुलना करते हुए गवाही देने को कहेगा। उसके अनुसार निम्न वर्णों को राजा झूठी गवाही देने के लिए जुर्माने के साथ देश निकाला दे, परंतु ब्राह्मण को केवल राज्य की सीमा त्यागने को कहे।

अपराधों के मामले में मनु कहता है कि, पुरोहित की मानहानि के लिए क्षत्रिय को सौ पण, वैश्य को एक सौ पचास पण या दो सौ पण तथा शिल्पी या दास व्यक्ति को कोड़े लागए जाने चाहिए।

यदि कोई पुरोहित क्षत्रिय की मानहानि करे तो पचास पण, वैश्य के साथ करे तो पच्चीस पण और दास वर्ण की भर्त्सना करने पर बारह पण का जुर्माना किया जाए। कोई शूद्र व्यक्ति द्विज का अपमान करता है तो उसके जीभ काट देने चाहिए। ब्राह्मण का नाम तथा वर्ण अपमानपूर्वक उल्लेख करने पर दास व्यक्ति के मुंह में दस अंगुल लंबी लोहे की छड़ डाल देनी चाहिए। शूद्र घमंडपूर्वक पुराहितों को उनके कर्त्तव्यों के लिए निर्देश दे तो राजा उसके मुंह तथा कान में गर्म तेल डालने का आदेश देगा। प्रहार या मार–पीट के अपराध के लिए मनु कहता है कि शूद्र जिस अंग द्वारा उँची जाति के व्यक्ति पर हमला करे या चोट पहुँचाए, उसका वह अंग काट लेना चाहिए।

व्याभिचार के अपराध के लिए मनु कहता है कि, यदि कोई शूद्र किसी पुरोहित की पत्नी के साथ व्याभिचार करता है, तो उसको मृत्यु दिया जाना चाहिए। लेकिन यदि पुरोहित वर्ग का कोई आदमी व्याभिचार करे तो उसे प्राण दंड देने की बजाए उसका अपकीर्तिकर मुंडन करा देना चाहिए। व्याभिचार के आरोपी पुरोहित को छोड़कर अन्य वर्गों को मृत्यु–दंड तक दिया जा सकता है। वर्ण–क्रम में जो जितना ही नीचे है मनु से उसके लिए सजा का विधान उतना ही ज्यादा सख़्त किया है। डॉ. अम्बेडकर हिंदू तथा गैर–हिंदू आपराधिक न्याय शास्त्र में विलक्षण अंतर मानते हैं। हिंदू धर्म–शास्त्रों में दंडित करने के लिए असमानता के सिद्धांत को लागू किया गया है। न्याय की भावना यही होनी चाहिए कि एक ही प्रकार के अपराध के लिए, एक समान दंड मिले लेकिन मनु के अपराध–कानून में हमें सजा देने का अमानवीय स्वरूप दिखाई पड़ता है।

अम्बेडकर, मनु द्वारा निर्माण किए गए धार्मिक असमानता की ओर भी हमारा ध्यान आकर्षित करते हैं। धार्मिक संस्कारों की आड़ में छिपे असमानता की भावना का वे पर्दाफाश करते हैं। मनु ने अभिषेक संस्कार के अंतर्गत कहा है कि, ब्राह्मण को बालक के ज्ञान वर्धन के लिए पांचवे वर्ष में क्षत्रिय को बालक का पराक्रम बढ़ाने के लिए छठे वर्ष में और वैश्य अपने बालक की समृद्धि के लिए आठवें वर्ष में उपनयन संस्कार कराए। द्विजों के अपराध के प्रायश्चित के लिए मनु ने पंचमहायज्ञ का विधान किया है जिसे करने से वे पाँच पापों के दोष से छुटकारा पा सकते हैं जबकि अन्य किसी वर्ण के लिए इस तरह की कोई व्यवस्था नहीं है। मनु ने शूद्रों के पवित्र मंत्रों का प्रयोग करने पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अनुसार शूद्र अपने धार्मिक संस्कारों में भी कभी भी पवित्र मंत्र का जाप न करें। केवल उन मंत्रों का जाप कर सकते हैं जिसमें नमस्कार तथा स्तुति का समावेश है। मनु ने द्विजों के लिए पाप से मुक्त होने के नियम, मानव शरीर को ब्रह्म प्राप्ति योग्य बनाने के उपाय और श्रेष्ठ बह्म पद कैसे प्राप्त किया जाये इसके बारे में बताया है लेकिन शूद्रों को इससे अलग रखा है। डॉ. अम्बेडकर उपरोक्त बातों की गहन पड़ताल करते हुए दिखाते हैं कि किस प्रकार हिंदुत्व के दर्शन में सामाजिक तथा धार्मिक असमानता मिलती है। वे लिखते हैं कि– ''मनुष्य को अपने पापों से मुक्त होने के प्रयास को रोकना! मनुष्य को ईश्वर के समीप आने पर रोक! किसी भी बुद्धिमान व्यक्ति को ऐसे नियम घृणित लगने चाहिए और विकृत मस्तिष्क की निशानी लगनी चाहिए। हिंदू धर्म केवल समानता को ही नकारता है, ऐसा नहीं है, परंतु वह मानव व्यक्तित्व की पवित्रता को ही नकारता है। यह इसका एक चकित कर देने वाला उदाहरण है।''[2] नामकरण–समारोह के लिए मनुस्मृति में लिखा हुआ है कि, ब्राह्मण के नाम का पहला भाग शुभ सूचक होना चाहिए, क्षत्रिय के नाम का पहला भाग शक्ति से संबधित हो और वैश्य की संपत्ति के साथ, परंतु शूद्र के नाम का पहला भाग ऐसा हो जो घृणा व्यक्त करे। डॉ. अम्बेडकर मनु पर आरोप लगाते हैं कि शूद्र का नाम उच्च भावना का प्रतीक हो यह उसके लिए असहनीय है।

क्या हिंदू धर्म स्वतंत्रता को मान्यता देता है? इसकी पड़ताल करने के लिए अम्बेडकर हिंदू धर्म के अंदर सामाजिक समानता, आर्थिक सुरक्षा और ज्ञान सर्वसामान्य के लिए सुलभ है कि नहीं इसकी समीक्षा करते हैं। सामाजिक और धार्मिक समानता की समीक्षा उपर हो चुकी है जिसमें मनु विशेष अधिकार और असमानता को स्वीकार करता है। आर्थिक सुरक्षा के अंतर्गत मनु ने मनुष्य के जन्म के पहले ही उसका व्यवसाय निश्चित कर दिया है। मनु कहता है कि शूद्र का जन्म उफँचे वर्णों की सेवा करने के लिए हुआ है। इसके साथ–ही–साथ उसने शूद्रों के संपत्ति संचित करने पर प्रतिबंध लगाया है। अम्बेडकर के अनुसार आर्थिक दृष्टि से शूद्र की स्थिति बहुत ही दयनीय है। उस समय हिंदू धर्म में स्पष्ट मान्यता थी कि वेदों के बाहर कोई ज्ञान नहीं है। उनका ज्ञान के अन्य माध्यमों जैसे कि कला और विज्ञान से कोई मतलब न था। ऐसे में ज्ञान का एकमात्र साधन सिर्फ वेद ही थे। मनु ने शूद्रों के वेद अध्ययन पर प्रतिबंध लगाया और राजा को इसके निगरानी के लिए हिदायत भी दी है। शूद्र को छोड़कर वेद का अध्ययन बाकी के तीनों वर्ण कर सकते हैं लेकिन अध्यापन का कार्य सिर्फ द्विज ही कर सकते हैं। मनु ने शूद्र के वेद अध्ययन पर प्रतिबंध लगाया है। उसके अनुसार अगर शूद्र वेद का पठन सुनता है तो उसके कानों में पिघलता शीशा या लाख डाली जानी चाहिए। अगर वह वेदों का उच्चारण करता है तब उसकी ज़बान काट दी जाए। जब वह वेदों पर अपना प्रभुत्व स्थापित करने का प्रयास करे तो उसके शरीर के टुकड़े–टुकड़े कर दिये जाएं। अम्बेडकर मनु के उपरोक्त नियम के आलोक में कहते हैं कि संसार में ऐसा कोई भी समाज नहीं होगा जिसने सर्वसाधारण को धर्म–ग्रंथों के अध्ययन से च्युत किया होगा। संसार में ऐसा कोई भी समाज न होगा जिसने जनता को ज्ञान प्राप्ति के लिए दंडित किया होगा। सिर्फ मनु ही ऐसा दैवी कानून बनाने वाला अकेला व्यक्ति है। डॉ. अम्बेडकर हिंदुत्व को ज्ञान का माध्यम होने की बजाए अंधकार का एक सिद्धांत कहते हैं। इस प्रकार वह दिखाते हैं कि स्वतंत्रता के लिए जिन आवश्यक तत्वों की आवश्यकता होती है, हिंदू धर्म कैसे उसके विपरीत है।

हिंदू धर्म के अंदर बंधुत्व की स्थिति को जानने के लिए अम्बेडकर धर्म–शास्त्रों के इतिहास से विभिन्न तथ्यों को सामने रखने के बाद उसका मूल्यांकन करते हैं। वे भारत में जाति और उसकी उपजातियों की संख्या पर विचार करते हैं। उनके अनुसार ब्राह्मण जाति में उपजातियों की संख्या लगभग 1886 है। सिर्फ पंजाब में ही सारस्वत ब्राह्मण 469 और कायस्थ लोग 590 उपजातियों में बंटे हैं। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार– ''जाति व्यवस्था श्रेणियों की एक व्यवस्था है, जिनमें सबसे श्रेष्ठ और सबसे नीच जाति को छोड़कर प्रत्येक जाति की दूसरी कुछ जातियों पर प्रधानता बनी हुई है।''[3] जाति–व्यवस्था के अंदर श्रेष्ठता और प्रधानता कैसे निर्धारित होती है, इसकी भी जाँच अम्बेडकर ने की है। वे कहते हैं कि धर्म प्रधानता के आधार पर अपने आपको तीन रूपों में प्रकट करता है। प्रथम धार्मिक समारोह के अवसर पर, दूसरा मंत्रों के उच्चारण द्वारा और तीसरा पुरोहित के माध्यम से। धार्मिक समारोह के अंतर्गत अगर हम उपनयन संस्कार को ही ले तो हम देखते हैं कि सभी जातियां जनेउ नहीं पहन सकती। इसका अर्थ यह हुआ कि जनेउ धारण करने वाले व्यक्ति से उनकी स्थिति निम्न है। ब्राह्मण को अन्य दो वर्णों की अपेक्षा सबसे उत्तम कोटि के धागे से निर्मित जनेउ धारण करने का निर्देश मनु देता है। अब हम मंत्रों के उच्चारण पर ध्यान दे तो पता चलता है कि वेदोक्त विधि से मंत्रोच्चारण का अधिकार मनु ने सिर्फ ब्राह्मणों को दिया है। बाकी के दोनों वर्ण पुराणोक्त विधि से मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। धर्म से संबंधित श्रेष्ठता का एक अन्य माध्यम है पुरोहित। स्पष्ट रूप से पुरोहित बनने का अधिकार मनु ने सिर्फ ब्राह्मणों को दिया है। यह बात ब्राह्मण की इच्छा पर छोड़ दिया गया है कि वह किस का निमंत्रण स्वीकार करें। ब्राह्मण जिस जाति के धार्मिक संस्कार में उपस्थित होता है वह अन्य जातियों से श्रेष्ठ माना जाता है। श्रेष्ठता के नियमों का एक

अन्य माध्यम सहभोज है, जिसमें अंतर्जातीय भोज पर प्रतिबंध लगाया गया है। लेकिन मनुष्य स्वभाव से ही घुमंतु प्राणी रहा है इसलिए इसका कड़ाई से पालन करना मुश्किल था। क्योंकि यह जरूरी नहीं है कि सभी स्थान पर आपको स्वजातीय लोग ही मिलें। इसलिए मनु ने इसमें ढ़ील दिया है। उसके अनुसार ब्राह्मण कुछ जाति के लोगों से मिट्टी के बर्तन में, कुछ जातियों से धातु के बर्तन में और कुछ से केवल कांच के बर्तन में भोजन और पानी ले सकता है। ब्राह्मण जिस बर्तन में उस जाति से भोजन और पानी ग्रहण करेगा, उससे उसकी श्रेष्ठता निर्धारित होगी। जिस जाति से वह तेल में बना भोजन ग्रहण करेगा वह अन्य जातियों से श्रेष्ठ मानी जाएगी। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार इससे जातियों के बीच प्रतिस्पर्धा और घृणा की भावना पनपती है। इसी द्वेष तथा घृणा की भावना का फल है, हिंदू धर्मशास्त्रों के अंतर्गत 'सहयाद्रि खंड' का रचा जाना। सहयाद्रि खंड में जातियों की मूल उत्पत्ति के बारे में बताया गया है। इसमें अन्य जातियों को कुलीन उत्पत्ति का और ब्राह्मण को सबसे घृणित उत्पत्ति का बताया गया है। अम्बेडकर के अनुसार ऐसा मनु से प्रतिशोध की प्रतिक्रिया स्वरूप किया गया होगा।

डॉ. अम्बेडकर ने हिंदुओं के श्रेष्ठ साहित्य से ब्राह्मण और क्षत्रियों के बीच हुए कई युद्धों के उदाहरण दिये हैं। इनमें ब्राह्मण और राजा वेण, ब्राह्मण और क्षत्रिय राजा पुरूरवा, ब्राह्मण और राजा नहुष, ब्राह्मण और राजा निमी, विश्वामित्र और वशिष्ठ, उर्व और भृगु तथा कार्त्तवीर्य और परशुराम के बीच हुए युद्ध प्रमुख हैं। मुख्य रूप से उर्व तथा भृगु और कार्त्तवीर्य तथा परशुराम कथा से ब्राह्मणों और क्षत्रियों के बीच हुए भयानक नरसंहार का पता चलता है। अम्बेडकर क्षत्रिय और ब्राह्मण के बीच हुए युद्ध को वर्ग संघर्ष के रूप में देखते हैं। उनके अनुसार वर्ग संघर्ष का ऐसा दुखांत इतिहास संसार में कहीं भी नहीं मिलता। परशुराम ने क्षत्रियों का इक्कीस बार संहार किया तब बाद में कहीं जाकर ब्राह्मणों ने उनकी विधवाओं के साथ संभोग करके क्षत्रियों की पुनसृष्टि की। अम्बेडकर की मान्यता है कि भारत में वर्ग–संघर्ष का एक स्थायी स्वभाव रहा है, जो अंदर ही अंदर परंतु आवश्यक रूप से अपना कार्य करता था। अम्बेडकर इन घटनाओं को देखकर प्रश्न उठाते हैं कि, क्या यह कहा जा सकता है कि हिंदुओं में बंधुत्व है? इसका जवाब वे नाकारात्मक देते हैं, क्योंकि उनका स्पष्ट मानना है कि जन्म, मृत्यु, विवाह तथा भोजन आदि के सुख–दुख में सहभागी बनने से ही बंधुत्व की भावना बढ़ती है जिसका हिंदुत्व में सर्वथा अभाव है।

भारत में विद्यमान बेरोजगारी के लिए अम्बेडकर सीधे जाति–व्यवस्था को जिम्मेदार मानते हैं। जाति–व्यवस्था में मनुष्य को पसंद के अनुसार व्यवसाय चुनने की स्वतंत्रता नहीं है। शूद्रों के लिए जो व्यवसाय मनु ने निर्धारित किये हैं उसके कारण समाज में उनके प्रति अन्य जातियों की घृणा और उपेक्षा बढ़ती ही चली जाती है। इसके कारण उनमें आत्मगौरव का भाव समाप्त हो जाता है। जाति व्यवस्था ने बुद्धि से कार्य ;श्रमद्ध के संबंध को तोड़ दिया है और श्रम के प्रति घृणा की भावना पैदा की है। हिंदू धर्म में श्रम करने का निर्देश सिर्फ शूद्रों को है। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार एक संपूर्ण मनुष्य के पास शिक्षा तथा परिश्रम का होना आवश्क है तभी वह संपत्ति अर्जित कर सकेगा। क्योंकि बिना शिक्षा और परिश्रम के संपत्ति का होना व्यर्थ है और समाज के लिए घातक। दुनिया के दूसरे देशों में सामाजिक क्रांतियाँ तो हो गई पर भारत में नहीं हुई। इसका कारण खोजते हुए डॉ. अम्बेडकर जाति–व्यवस्था को इसके लिए जिम्मेदार मानते हैं। भारतीय जाति–व्यवस्था ने उन्हें ज्ञान विहीन, शस्त्र विहीन और संपत्ति विहीन बना दिया था। इस तरह मुक्ति का कोई मार्ग न देखकर वे अपनी स्थाई गुलामी से संतुष्ट हो गये जो उनकी नियति बन गई। इसलिए डॉ. अम्बेडकर हिंदू धर्म के दर्शन को सामाजिक उपयोगिता और व्यक्तिगत न्याय की कसौटी पर खरा नहीं पाते।

अम्बेडकर के अनुसार, हिंदू धर्म के आदर्श का केन्द्रबिन्दु एक विशिष्ट वर्ग है, जिसे ब्राह्मण कहा जाता है। हिंदू धर्म में सभी अधिकार इसी महामानव को दिये गए हैं। मनुस्मृति के अनुसार ब्राह्मण ही सारे वर्णों में श्रेष्ठ है और प्रथम श्रेणी का पुरूष है। मनु ने राजा को आदेश दिया है कि वह प्रातः काल उठकर विद्वान ब्राह्मणों की सेवा और उनके कहे अनुसार कार्य का निष्पादन करें। राजा को आर्थिक तंगी के दौर में भी ब्राह्मण की संपत्ति नहीं लेनी चाहिए, क्योंकि वह क्रोधित होकर अगर राजा को श्राप देता है तो इससे उसका ऐश्वर्य समाप्त हो जाएगा। अगर शूद्र अगले जन्म में स्वर्ग प्राप्ति की इच्छा रखता है तो उसे ब्राह्मणों की सेवा करनी चाहिए। शूद्र के लिए ब्राह्मण की सेवा करना ही उसका सर्वोत्तम व्यवसाय है। इसी से उसे फल की प्राप्ति होती है तथा सुख–शांति मिलती है। यदि शूद्र धन का संचय करता है तो वह ब्राह्मण को दुख पहुँचाता है। अम्बेडकर कहते हैं कि, जो बात ब्राह्मणों के दृष्टिकोण से उचित है, वही हिंदू धर्म में नैतिक दृष्टि से सही है। वे मनु के उपरोक्त विधानों के अंतर्गत ही हिंदू धर्म के दर्शन की व्याख्या करते हैं। हिंदू धर्म के दर्शन की समानता वे केवल नीत्शे के विचारों से करते हैं। अम्बेडकर नीत्शे की पुस्तक 'एंटी क्राइस्ट' के आलोक में कहते हैं कि, 'उसने भी मनु की योजना का अनुसरण किया है।' इसके बाबजूद वे दोनों में फर्क करते हुए लिखते हैं कि, 'नीत्शे के महामानव अपनी योग्यता के कारण महामानव थे जबकि मनु के महामानव एक खास वर्ग 'ब्राह्मण' थे।' ब्राह्मण चाहे लाख मूर्ख हो लेकिन ब्राह्मण वर्ण में जन्म लेने के कारण मनु के लिए वह महामानव है। अम्बेडकर के अनुसार संपूर्ण समाज के हितों को मनु ने सिर्फ ब्राह्मणों के लिए नकारा। नीत्शे और मनु के महामानव की तुलना करते हुए अम्बेडकर लिखते हैं कि, ''नीत्शे के महामानव के दर्श की तुलना में मनु के महामानव का पतित दर्शन कहीं अधिक घृणित और कुत्सित है ऐसी है उसकी समाज व्यवस्था, जिसे हिंदू अमूल्य मानते हैं, और जिस पर श्री गांधी को गर्व है तथा जिसे वह हिंदुओं की ओर से विश्व को उपहार–स्वरूप देना चाहते हैं।''[4] डॉ. अम्बेडकर के अनुसार नीत्शे ने मनुस्मृति की व्याख्या करने में गलती की है। दरअसल नीत्शे ने मनुस्मृति के कुछ प्रसंगों को समझने में भूल की है, क्योंकि वह कहता है कि मनुस्मृति में कुलीन वर्ग, दार्शनिक तथा योद्धा जनता की रक्षा करते हैं लेकिन वस्तुस्थिति कुछ और ही है। अम्बेडकर इस बात से कतई सहमत नही हैं कि मनुस्मृति में दार्शनिक, कुलीन वर्ग और योद्धा आम जनता की रक्षा करते हैं। उनके अनुसार मनु के महामानव को सारे अधिकार प्राप्त हैं लेकिन उनके कर्तव्य कुछ भी नहीं हैं।

अपने उपरोक्त विचारों के मद्देनजर अम्बेडकर यह अच्छी तरह जानते थे कि उन पर भिन्न दिशाओं से आक्रमण हो सकते हैं। उन पर सवाल उठाया जा सकता है कि मनुस्मृति तो हिंदू धर्म का धर्मग्रंथ है, जबकि हिंदुत्व का सार तो वेद और भगवत्गीता में है फिर वे हिंदुत्व पर सवाल क्यों खड़ा कर रहे हैं। इसका जवाब भी डॉ. अम्बेडकर ने अपनी पुस्तक में दिया है। वे लिखते हैं कि– ''मूलतः रूप से, स्मृति उन नियमों का संग्रह है, जिनका संबंध सामाजिक परंपरा, रूढ़ियों तथा मान्यताओं से है और जिन्हें उन लोगों द्वारा मान्यता मिली हुई है, उन्होंने उसे पुरस्कृत किया है, जिन्हें वेदों का ज्ञान है। दीर्घ समय तक ये नियम, इन वेदों के ज्ञान–प्राप्त लोगों की स्मृति में ही बसे हुए थे, इसलिए उन्हें स्मृति कहा जाने लगा...।''[5] प्रारम्भ में वेदों या श्रुति के जैसा महत्व स्मृति को प्राप्त नहीं था। अम्बेडकर के अनुसार स्मृति को वेदों के समान महत्त्व दिलाने का कार्य ब्राह्मणों द्वारा अत्यंत ही चालाकी से किया गया। श्रुति और स्मृति को ब्रह्मा की दो आँखों के रूप में सूचित किया गया। ब्राह्मणों द्वारा यह सिद्धांत तैयार किया गया कि 'ब्रह्मणत्व', वेद और स्मृति के संयुक्त अध्ययन द्वारा ही प्राप्त किया जा सकता है। अंत में केवल स्मृति को ही

मान्यता दी गई और कहा गया कि जो व्यक्ति इसकी निंदा करेगा वह इक्कीस पीढ़ियों तक राक्षस–योनि में जन्म लेगा।
इस प्रकार स्मृति को ब्राह्मणों ने चालाकी पूर्वक अपने विशेषाधिकारों के लिए प्रयोग किया। इससे जाति–व्यवस्था को बल मिला, जिसके फलस्वरूप ब्राह्मणों की श्रेष्ठता स्थापित हो गई और शूद्र की स्थिति दिन–प्रतिदिन निम्नतर होती चली गई। डॉ. अम्बेडकर के अनुसार, कुछ लोग यह कह सकते हैं कि मनुस्मृति कानून की पुस्तक है और वह नैतिक आचार संहिता नहीं है। इसके जवाब में अम्बेडकर लिखते हैं कि, हिंदू धर्म में कानून दर्शन और नैतिक दर्शन में कोई भेद नहीं है, क्योंकि व्यक्तिगत विवेक बुद्धि से नियंत्रित आचरण के लिए इसमें कोई जगह नहीं है। इसलिए हिंदू धर्म में जो बात वैधानिक है, वही बात नैतिक भी है। अम्बेडकर के अनुसार स्मृति, वेद और भगवत्गीता के सार में ज्यादा फर्क नहीं है।) ग्वेद के दशम मंडल में शूद्रों का उल्लेख पुरूषसूक्त में हुआ है जिसमें चातुर्वर्ण्य के सिद्धांत का प्रतिपादन किया गया है। इसके अलावा इसमें यह भी प्रतिपादित किया गया है कि चारों वर्णों में संबंध असमानता के आधार पर होने चाहिए। भगवत्गीता से अम्बेडकर उदाहरण देकर दिखाते हैं कि, इसमें भी असमानता का समर्थन है। कृष्ण ने भगवत्गीता में कहा है कि चातुर्वर्ण्य की रचना मैंने की है। इसमें कहा गया है कि स्वयं के वर्ण का व्यवसाय करने में ही सुख है चाहे इसके लिए मृत्यु भी क्यों न हो जाए। युद्ध–भूमि में अर्जुन को शिक्षा देते हुए कृष्ण कहते हैं कि, जब भी धर्म ;चातुर्वर्ण्यद्ध की हानि होगी तब मैं स्वयं जन्म लेकर उनको दंडित करूँगा जो इसके लिए जिम्मेदार होंगे और इस धर्म की पुर्नस्थापना मेरे द्वारा होगी। हिंदू धर्म के कई सुधारकों ने अपनी पक्षसिद्धि के लिए गीता की व्याख्या की है। गांधी ने भी अनासक्ति–योग के नाम से गीता की व्याख्या की है। जिस गीता को हिंदू अपने धर्म का अंतिम आख्यान मानते हैं, उसी के संबंध में अम्बेडकर लिखते हैं कि– ''....जहाँ तक मनुस्मृति, वेद तथा भगवत्गीता के सार का संबंध है, ये सभी एक ही नमूने पर बुने हुए हैं। इन सभी के भीतर एक ही प्रकार का धागा चलता है और वास्तव में यह सभी एक ही वस्त्र के हिस्से हैं।''[6] उनकी मान्यता है कि, वेद तथा भगवत्गीता में एक सर्वसाधरण सिद्धांत का प्रतिपादन है, जबकि मनुस्मृति में उन सिद्धांतों की व्याख्या की गई है। उपनिषद पर विचार करते हुए अम्बेडकर उसमें अध्यात्मवाद और धर्म का अभेद पाते हैं। उनके अनुसार उपनिषद् के रचनाकार सत्य को जानने का ही उपदेश देते रहे। अम्बेडकर के अनुसार सच्चा धर्म हमें सत्य से प्रेम करने की प्रेरणा देता हैं। वे कहते हैं कि, मनु ने धर्म के नाम पर जो कलंकित शिक्षा दी है उसे नष्ट करने के लिए हिंदू नीति–शास्त्र और उपनिषद् महत्त्वहीन साबित हुए। इसलिए अम्बेडकर हिंदू धर्म को असमानता का पर्याय मानते हैं।

संदर्भ:

1. डॉ. अम्बेडकर संपूर्ण वाङ्मय, खंड 6, पृष्ठ 39.
2. वही, पृष्ठ 57.
3. वही, पृष्ठ 68.
4. वही, पृष्ठ 155.
5. वही, पृष्ठ 102.
6. वही, पृष्ठ 106.